हड़ताल, यानी नो वर्क सिर्फ पे! नवीन कुमार मिश्र, पटना :

नो वर्क-नो पे, यानी काम नहीं तो वेतन नहीं। इस बारे में सरकार का कर्मचारी संगठनों के साथ समझौता है। हर हड़ताल के बाद मामला हड़ताल अवधि के वेतन को लेकर फंसता है। सरकार विशेष व्यवस्था करती है। मगर हड़ताल का दूसरा फंडा भी है-नो वर्क, सिर्फ पे। क्षेत्रीय कार्यालयों में अमूमन यही होता रहा है। कर्मचारी नेता भी मानते हैं कि कार्य विभागों में यह स्थिति है। हालांकि उनकी दलील है कि ऐसा खुद सरकार करती है। छठे वेतन को लेकर पिछले साल 34 दिनों की हड़ताल हुई। क्षेत्रीय कार्यालयों में मुकम्मल हड़ताल रही ही, मुख्यालय यानी सचिवालय के अधिकांश विभागों में व्यापक प्रभाव पड़ा। सचिवालय के लोगों को अभी तक 34 दिनों के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है मगर क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकांश कर्मियों ने बैकडोरू तरीके से उपस्थिति बनाकर वेतन निकाल लिया। इसी साल 29 अगस्त से अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल हुई। करीब 59 दिनों तक चली। सरकार ने बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। अंततः राज्यपाल से वार्ता और उनकी अपील के बाद कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त कर वापस लौटना पड़ा। हड़ताल में नो वर्क सिर्फ वेतन के गणित का सरकार को भी भान हो गया था। इसी वजह से सरकार ने हड़ताल प्रारंभ होने के एक पखवारा बाद ही हड़ताल और उपस्थिति को लेकर प्रमंडलीय आयुक्तों व जिलाधिकारियों को सतर्क कर दिया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 सितम्बर के अपने निर्देश में कहा था कि हड़ताल में शामिल कर्मियों की जिलावार आनलाईन रिपोर्टिग जो मिल रही है, भ्रामक मालूम हो रही है। साथ ही कुछ जिलों से रिपोर्ट नहीं आ रही। कहा गया कि दिन में दो बार उपस्थिति बनवायी जाये और गैरहाजिर लोगों के बारे में जिला कोषागारों को रिपोर्ट भेजी जाये, ताकि गायब लोगों का वेतन भुगतान नहीं हो। अब जाहिर हुआ कि हड़ताल में तो ज्यादा लोग शामिल थे मगर वेतन उठाने वाले की भी लंबी कतार है। वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को बताया है कि दैनिक अनुपस्थिति की रिपोर्ट में विभिन्न जिलों से काफी बड़ी संख्या में अनुपस्थिति की रिपोर्ट मिल रही थी मगर साफ्टवेयर के माध्यम से वेतन निकासी की जो रिपोर्ट है उसमें जिलावार वैसे कर्मियों की संख्या जिनके वेतन की निकासी नहीं की गयी है, वह काफी कम है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारियों व प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया है कि अपने स्तर से हड़ताल अवधि में वेतन की निकासी एवं अनुपस्थित कर्मियों के संबंध में भेजी गयी रिपोर्ट से मिलान कर लें।

शासन का शिकंजा 6 हड़ताल में थे ज्यादा लोग, वेतन उठाने वालों की भी है बड़ी फौज 6 गायब रहकर वेतन उठाने वालों का होगा मिलान